खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0094 / 2017

Radhakishan Paliwal son of Shri Jagannath Paliwal, aged 80 years, Proprietor- M/s. Heeralal Radhakishan, Sadar Bazar, Pratapgarh.

---Appellant

Versus

1. State of Rajasthan through Commissioner, Food Safety, Swasthaya Bhawan, C-Scheme, Jaipur (Rajasthan).
2. Food Safety Officer, Office of Chief Medical & Health Officer, Pratapgarh.

…Respondents

उपस्थितः–

1. श्री रौनक सिंघवी अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 15.01.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, प्रतापगढ के आदेश दिनांक 05.08.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 15 / 2014 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम राधाकिशन में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर 90,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि दिनांक 07. 03.2014 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रतापगढ ने अपीलार्थी की दुकान से घी का सैम्पल वास्ते जांच हेतु लिया जो बाद जांच सब स्टेण्डर्ड पाए जाने पर आवश्यक अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर परिवाद न्याय निर्णयन अधिकारी, प्रतापगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी द्वारा जांच रिपोर्ट के तथ्यों को स्वीकार किया गया जिस आधार पर अपीलार्थी पर 90,000रूपये (अक्षरे नब्बे हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई।

4. अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि समान परिस्थितियों के अन्य प्रकरण सं. 18 / 2012 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम प्रेम चंद आदेश दिनांक 29.08.2012 में केवल मात्र 10,000रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है,

उस प्रकरण में भी घी का सैम्पल लिया गया था और बाद जांच सब–स्टेण्डर्ड पाया गया। योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि समान परिस्थितियों में विभिन्न शास्ति अधिरोपित करने के लिए आधार नहीं दिया गया है।

5. प्रत्यर्थी की ओर से तर्क दिया गया कि हर प्रकरण में परिस्थितियां भिन्न होती है, अतः शास्ति के बिन्दु पर समानता की मांग नहीं की जा सकती।

6. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

7. **अवधार्य बिन्दु :––**

''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, प्रतापगढ ने आलौच्य आदेश दिनांक 05.08.2014 के द्वारा नब्बे हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित करने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

8. **विनिश्चयः––** अपीलार्थी के हक में तय किया जाता है।

9. **विनिश्चय के कारणः––**

10. यह सही है कि हर प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न होती है परन्तु इस तथ्य का खण्डन नहीं है कि अन्य प्रकरण जिसका उल्लेख अपील में किया गया है जो प्रकरण संख्या 18/2012 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम प्रेमचंद में भी सैम्पल घी का लिया गया था जो कि खुला घी था जो सब–स्टेण्डर्ड पाया गया और 10,000रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई।

11. इस बिन्दु को यदि विशेष महत्व नहीं दिया जाए तो भी हस्तगत प्रकरण में अधिरोपित शास्ति युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती है क्योंकि जांच रिपोर्ट के अनुसार Butyrorefracto meter Reading अधिकतम 43.0 हो सकती थी जबकि इस प्रकरण में 43.36 है जिसकी जांच के दो तरीके बताए गए है, एक उपकरण से सीधे जांच और दूसरा मैन्युवल जांच। हस्तगत प्रकरण में जांच उपरण की विधि से नहीं कर अन्य विधि से की है। ऐसी परिस्थिति में 0.36 की त्रुटि परीक्षण की मानवीय त्रुटि भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में जहां खाद्य पदार्थ सब स्टेण्डर्ड होने का आधार

केवल मात्र Butyrorefracto meter Reading में 0.36 की ही अधिकता बताई है, 90,000रूपये की शास्ति को युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 15/2014 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम राधाकिशन में पारित किया गया कि अपीलार्थी पर जो शास्ति आरोपित की गई, उसे अपास्त करते हुए अपीलार्थी राधाकिशन पर 90,000रूपये के स्थान पर 10,000रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर